

प्रश्नः

“प्रेरिताई का कोई उदाहरण मानना कब आवश्यक होता है?”

उज्जरः

ईश्वरीय नमूने के बारे में आम तौर पर यह प्रश्न उठता है कि “‘प्रेरितों द्वारा दिया गया कोई उदाहरण मानना कब आवश्यक होता है?’” पवित्र शास्त्र यह बात स्पष्ट करता है कि हमारे प्रभु के प्रेरितों ने जो कुछ भी बांधा और खोला वह न्याय के दिन तक वैसे ही रहेगा (मज्जी 16:19; 18:18)। यह देखकर कि प्रेरितों ने मन्दिर में (प्रेरितों 2:46), पाठशाला में (प्रेरितों 19:9), घरों में (प्रेरितों 5:42) और यहां तक कि नदी के किनारे भी (प्रेरितों 16:13) सिखाने के उदाहरण ठहराए हैं, हमें यह पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि “‘प्रेरितों द्वारा दिया गया कोई उदाहरण कब मानना आवश्यक होता है?’” हम इनमें से किसी भी जगह सिखा सकते हैं।

परमेश्वर चाहता है कि उसकी इच्छा को समझने के लिए हम उसके वचन का अध्ययन करें (1 तीमुथियुस 4:13; इफिसियों 5:17)। कुछ मामलों में हमें स्वयं ही निर्णय लेना होता है कि ज्या सही है (लूका 12:57)। लेकिन ईश्वरीय सिद्धांत की उपस्थिति में, प्रेरितों का उदाहरण ही लागू होता है।

सिद्धांत किसी नियम या कार्य करने के ढंग को कहते हैं। पवित्र शास्त्र “आदि शिक्षा” के बारे में बताता है (इब्रानियों 5:12; देखिए 6:1)। हमें एक विशेष “नियम” या “मापदण्ड” के अनुसार चलने की आज्ञा दी जाती है (गलतियों 6:16; फिलिप्पियों 3:16)।

प्रेरितों 2:38, 41, 42 में हम निश्चित और सिद्ध सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। अन्य शब्दों में, इनमें मसीह में आने और फिर मसीह में बने रहने के सिद्धांत दिए गए हैं। इसलिए, इस उदाहरण को मानना आवश्यक है।

प्रेरितों 2:44 में हम प्रारज्जित कलीसिया में साझे की सज्जनि होने की बात पढ़ते हैं।

ज्या इस उदाहरण को मानना आवश्यक है ? नहीं, ज्योंकि प्रेरितों 5:4 से स्पष्ट पता चलता है कि अपनी चीज़ों का पूरी तरह से समर्पण अपनी इच्छा से ही किया जा सकता है।

प्रेरितों 6 अध्याय में, कलीसिया की सेवा के लिए सात पुरुषों के चयन के समय प्रेरितों ने किसी के नाम का सुझाव नहीं दिया था। प्रेरितों का उदाहरण यह है कि कलीसिया ही अपने लोगों का चयन करे (प्रेरितों 6:3)। ज्योंकि हम स्थानीय कलीसिया के लिए अपना प्रबन्ध स्वयं करने के अलावा नये नियम में किसी और उदाहरण के बारे में नहीं पढ़ते हैं इसलिए प्रेरितों का ही उदाहरण मानना आवश्यक है। पवित्र शास्त्र में ठहराई गई रीतियों को छोड़ किसी और व्यजित की मानना कोई विकल्प नहीं है।

प्रेरितों 8:9-24 में, हम एक नियम के बारे में पढ़ते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर का भटका हुआ बालक परमेश्वर के पक्ष में वापस आ सकता है। यदि हम मन फिराव और प्रार्थना के अलावा किसी दूसरे ढंग के बारे में पढ़ते हैं, तो हम यह नहीं कह सकते थे कि प्रेरितों 8 अध्याय का उदाहरण मानना आवश्यक है। परन्तु पवित्र शास्त्र में कहीं भी कोई दूसरा ढंग नहीं दिया गया है।

प्रेरितों 11:22 में हम देखते हैं कि एक कलीसिया किसी सुसमाचार प्रचारक को भेजकर किसी दूसरी कलीसिया से सहयोग कर सकती है। इस सिद्धांत का दुरुपयोग हो सकता है। कोई कह सकता है कि जिस कलीसिया के पास प्रचारक को भेजा जाता है वह दूसरी कलीसियाओं पर निर्भर होकर कमज़ोर हो जाएगी। कोई यह कह सकता है कि प्रचारक को भेजने वाली कलीसिया बहुत महत्वपूर्ण बनने की कोशिश कर रही है। लोग चाहे जो भी कहें, परन्तु एक कलीसिया द्वारा दूसरी कलीसिया को उसके काम में सहायता करने के लिए किसी को भेजना आज भी प्रेरितों द्वारा ठहराया गया सही उदाहरण है। परन्तु ज्या इससे यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह उदाहरण मानना आवश्यक है ? अन्य शब्दों में, ज्या स्थानीय कलीसिया में केवल सुधार ही एकमात्र ढंग है ? स्पष्टतया नहीं। इफिसियों 4:16 कहता है, “... सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक-ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए।” तो भी, नये नियम में उदाहरण का यह ढंग ही माना जाता है।

प्रेरितों 11 अध्याय में एक और उदाहरण मिलता है, जब भाइयों के एक समूह ने किसी दूसरी कलीसिया या कलीसियाओं के लिए आर्थिक सहायता भेजी। कोई यह बहस कर सकता है कि ऐसा (1) केवल आपातकाल में होना चाहिए, (2) राहत केवल भाइयों के लिए ही होनी चाहिए, (3) राहत का कोई भी काम किसी विशेष इलाके या डायोसिस की सीमा से बाहर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और (4) यह भाइयों की ओर से ही भेजा जाना चाहिए। ऐसा करने का अर्थ बात को अधिक तूल देना है। यह बहस करना कि किसी दूसरी कलीसिया की सहायता के लिए एक कलीसिया द्वारा धन भेजने से उसका अपना प्रबंध खत्म हो जाएगा, यह तर्क देना है कि अन्ताकिया की कलीसिया ने अपनी स्वायत्ता खो दी। यह दावा करना कि सहायता भेजने वाले गलत हैं यह कहना है कि यहूदिया की मण्डली के

ऐल्डरों ने गलत काम किया था। उन्होंने अपनी सामर्थ से बढ़कर राहत योजना के लिए सहायता भेजी। शज्जदकोष के अनुसार सहायता भेजने वाला प्रायोजक वह होता है “‘जो किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की जिज्ञेदारी लेता है, या उसे जिज्ञेदारी दी जाती है।’”

प्रेरितों के काम की पुस्तक में आगे पढ़ते हुए, 13 और 14 अध्यायों में हम देखते हैं कि कलीसिया ने प्रचारकों को बाहर भेजा और कलीसिया को उनके काम की अच्छी रिपोर्ट मिली। ज्योंकि किसी तरह की कोई मिशनरी सोसायटी का उदाहरण नहीं दिया गया इसलिए कलीसिया के ही परमेश्वर की मिशनरी सोसायटी होने का प्रेरितों का उदाहरण मानना आवश्यक है। प्रेरितों 14:23 में हमें प्रत्येक कलीसिया में ऐल्डरों या प्राचीनों के एक से अधिक होने का पता चलता है। ज्योंकि पवित्र शास्त्र में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है इसलिए इसी उदाहरण को आवश्यक मानना चाहिए।

प्रेरितों 18:3 में हम सीखते हैं कि पौलुस अपनी आय बढ़ाने के लिए तज्ज्बू बनाने का काम करता था। ज्या यह उदाहरण मानना आवश्यक है? ज्या कोई व्यक्ति बढ़ी का काम कर सकता है? ज्या कोई कलीसिया की सहायता से केवल प्रचारक का काम कर सकता है? बेशक, पवित्र शास्त्र यह स्पष्ट करता है कि इस विषय में सुसमाचार के प्रचारकों के पास अपना विकल्प है अर्थात् यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं (1 कुरिन्थियों 9:11-14; 2 कुरिन्थियों 11:8) लेकिन तज्ज्बू बनाने के लिए प्रेरितों का उदाहरण मानना आवश्यक नहीं है।

प्रेरितों 20:7-9 में, रोटी तोड़ने के लिए प्रभु के दिन तीसरी मंजिल पर रात को इकट्ठे होने के बारे में पता चलता है। ज्या रात को? ... तीसरे दिन? प्रभु के दिन? इकट्ठे होना कोई सिद्धांत है? दूसरी आयतें (इब्रानियों 10:25; प्रकाशितवाज्य 1:10) दिखाती हैं कि केवल सप्ताह के दिन का ही महत्व है।

परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नये नियम में अकस्मात् होने वाली बातों और ईश्वरीय सिद्धांतों के बीच अन्तर करना सीखें।